रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2009/वैशाख 23, 1931

No. 277] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2009/VAISAKHA 23, 1931

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2009

सा.का.नि. 321(अ).—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 51 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 अभिप्रेत है ;

(ख) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं तथा अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम के अधीन है ।

3. वेतन और भत्ते.—(1) अध्यक्ष मासिक रु. 80,000 (स्थिर) वेतन का पात्र होगा ।

(2) सदस्य, ग्रेड वेतन रु. 12,000 सहित, वेतन बैंड 4 में- रु. 37,000-67,000 के मासिक वेतन का पात्र होगा ।

(3) अध्यक्ष और सदस्य केन्द्र सरकार के समूह "क" अधिकारी के समतुल्य ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी को लागू दरों के अधीन मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता लेने के पात्र होंगे :

परंतु अध्यक्ष अथवा एक सदस्य के पद पर नियुक्त व्यक्ति के केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा से निवृत्ति उपरांत नियुक्ति होने व जो पेंशन, उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान व अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा हो, कर चुका हो अथवा प्राप्ति हेतु पात्र हो गया हो, ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य के वेतन से सिवाय आहरित अथवा आहरण योग्य उपदान समतुल्य पेंशन की राशि को छोड़कर पेंशन की सकल राशि अथवा सेवा निवृत्ति लाभ, यदि कोई हो, कम की जाएगी ।

इसके आगे यह भी कि यदि वह व्यक्ति केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम तथा/ अथवा स्वायत्त निकाय सहित किसी भी सेवा से रिटायर होने के बाद यदि वह अध्यक्ष अथवा सदस्य के तौर पर नियुक्त होते हैं तो केंद्र सरकार के समान वेतनमान वाले ग्रुप "ए" के अधिकारियों पर लागू मंहगाई भत्ते के हकदार होंगे, किंतु वे उस अवधि में मंहगाई राहत के हकदार नहीं होंगे जिसमें वे अध्यक्ष अथवा सदस्य के तौर पर कार्यरत रहे ।

4. **छुट्टी** :-(1) अध्यक्ष तथा सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिनों के अर्जित अवकाश के हकदार होंगे ।

(2) छुट्टी वेतन का भुगतान केंद्र सरकार सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 के अधीन होगा ।

(3) अध्यक्ष तथा सदस्य किसी भी समय अपनी अर्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत का नगदीकरण कराने के हकदार होंगे ।

5. **सामान्य भविष्य निधि अथवा अंशदायी भविष्य निधि, पेंशन तथा ग्रेच्युटी : -** (1) अध्यक्ष तथा सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के अधीन होंगे तथा उनके लिए जीपीएफ नियमावली के अंतर्गत अंशदान करने का कोई विकल्प नहीं होगा ।

(2) प्राधिकरण में की गई सेवाओं के लिए अतिरिक्त पेंशन तथा ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी ।

6. **छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता** :- अध्यक्ष तथा सदस्य दौरे पर यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के उसी तरह हकदार होंगे जो उसी ग्रेड वेतन में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं तथा केंद्र सरकार के नियंत्रण के गेस्ट हाउस अथवा इंस्पैक्शन बंगले में सामान्य किराए पर उपलब्ध अस्थाई सरकारी रिहाइश की सुविधा उसी प्रकार प्राप्त होगी जैसी कि उसी वेतन पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध है ।

7. **चिकित्सा सुविधाएं** :- केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा उपचार तथा अस्पताल सुविधाओं के अनुरुप ही अध्यक्ष तथा सदस्य भी इन सुविधाओं के हकदार होंगे तथा जहां कोई योजना लागू नहीं हो, वहां वे अध्यक्ष तथा सदस्य जो सरकारी कर्मचारी नहीं है , उन्हें केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सेवा) नियमावली, 1944 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगी ।

8. **विदेश का सरकारी दौरा** :- (1) अध्यक्ष तथा सदस्य नागर विमाननन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के पूर्व अनुमोदन तथा विदेश मंत्रालय से प्राप्त राजनैतिक अनुमति के बाद विदेश में सरकारी दौरा करने के हकदार होंगे ।

(2) भारत सरकार में बराबर वेतनमान पर कार्यरत अधिकारियों के लिए समय समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के मुताबिक इन्हें भी विदेशी दौरे की अवधि में दैनिक भत्ते तथा होटल सुविधाएं देय होंगी तथा केंद्र सरकार के बराबर वेतन लेने वाले ग्रुप "ए" अधिकारियों

के अनुरुप ही विदेश में स्थित भारतीय दूतावास इनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखेगा एवं सुविधाएं प्रदान करेगा ।

9. **वाहन भत्ता :-** कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित वाहन भत्ते के रुप में अध्यक्ष तथा सदस्य को व्यक्तिगत वाहन के रखरखाव तथा घर से कार्यालय पहुंचने के प्रयोग के रुप में रुपये 3000/- तथा रुपये 5000/- प्रति माह की नियत राशि के पात्र होंगे । इसी में ड्राइवर की तनख्वाह भी शामिल होगी, जो कि सरकारी नौकर नहीं होगा ।

10. **आवास :-** अध्यक्ष तथा सदस्य को दिल्ली में रहने पर मूल वेतन का 30% मकान किराया भत्ते के दावा करने का विकल्प दिया जाएगा लेकिन प्राधिकरण द्वारा मकान किराये पर नहीं लिया जाएगा अथवा सरकार द्वारा आबंटित नहीं किया जाएगा और यदि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास के उपनगर में रहते हो, तो अध्यक्ष के लिए 350 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर बने बिना फर्नीचर वाले तथा उपयुक्त खुले क्षेत्र वाला भवन तथा सदस्य के लिए 300 वर्ग मीटर वाले भवन किराये पर लेने के हकदार होंगे ।

11. **पद तथा गोपनीयता की शपथ :-** अध्यक्ष तथा सदस्य इस पद पर आसीन होने से पूर्व मंत्री के समक्ष इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म I व फॉर्म II में पद तथा गोपनीयता की शपथ लेंगे ।

12. **टेलीफोन सुविधा, सरकारी बैठकें तथा मनोरंजन खर्च :-** अध्यक्ष तथा सदस्य केन्द्रीय सरकार के समान वेतन प्राप्त करने वाले ग्रुप ए के अधिकारियों के अनुसार टेलीफोन सुविधाएं, सरकारी बैठकें तथा मनोरंजन खर्च के हकदार होंगे ।

13. **अवशिष्ट मामले :-** अध्यक्ष तथा सदस्य की सेवा के नियम और शर्तों से जुड़े वे मामले जिनके बारे में इन नियमों में प्रावधान नहीं दिए गए हैं, वे केन्द्रीय सरकार के समान वेतन लेने वाले ग्रुप "ए" अधिकारियों के समरुप होंगे ।

[फा. सं. ए वी. 24011/003/2009-एडी]
अरुण मिश्रा, संयुक्त सचिव

~~संलग्नक~~

फॉर्म-I

(नियम 11 देखें)

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद की शपथ का फार्म

मैं, _____ अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हों उसे काट दें) के रूप में नियुक्त किये जाने पर सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता, जानकारी तथा विवेक के अनुसार बिना किसी भय अथवा पक्षपात अथवा दुर्भावना के विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हों उसे काट दें) के रूप में पूर्ण निष्ठा तथा सजगता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा तथा इस देश के संविधान तथा कानून का पालन करूंगा ।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)
विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

दिनांक :

फॉर्म-II

(नियम 11 देखें)

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए गोपनीयता की शपथ का फार्म

मैं, _____ अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हों उसे काट दें) के रूप में नियुक्त किये जाने पर सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समक्ष किसी भी ऐसे मामले को सम्प्रेषित अथवा प्रकट नहीं करूंगा जो विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हों उसे काट दें) के रूप में मेरे विचाराधीन लाया जाएगा अथवा जानकारी में आएगा, जब तक कि ऐसा करना विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हों उसे काट दें) के रूप में अपने कर्तव्यों के विधिवत निर्वाह के लिए अपेक्षित न हो ।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)
विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

दिनांक :

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2009

G.S.R. 321(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of section 51 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, (27 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Airports Economic Regulatory Authority of India (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of the Chairperson and Members) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires. -

(a) "Act", means the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008;

(b) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. **Salaries and allowances.-** (1) The Chairperson shall be entitled to a monthly salary of Rs.80,000 (fixed).

(2) The Member shall be entitled to a monthly salary in the Pay Band 4 - Rs.37,000 - 67,000 with a Grade Pay of Rs.12,000.

(3) The Chairperson and a Member shall be entitled to draw dearness allowance and city compensatory allowance at the rates applicable to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay:

Provided that in case of appointment of a person as the Chairperson or a Member who has retired from the service under Central Government or State Government and who is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairperson or Member, shall be reduced by the gross amount of pension or retirement benefits, if any, except pension equivalent of gratuity, drawn or to be drawn by him:

Provided further that if a person who has retired from any service including service under Central Government or State Government, Public Sector Undertaking or Autonomous Body is appointed as the Chairperson or a Member, he shall be entitled to receive dearness allowance at the same rate as applicable to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay, but he shall not be entitled to receive dearness relief on pension during the period he holds office as such Chairperson or a Member.

1786 GI/09-2

4. Leave.- (1) The Chairperson and a Member shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service. (2) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972. (3) The Chairperson and a Member shall be entitled to encashment of fifty percent of earned leave to his credit at any time.

5. General Provident Fund or Contributory Provident Fund, Pension and Gratuity.- (1) The Chairperson and Member shall be governed by Contributory Provident Fund Rules and no option to subscribe under General Provident Fund (GPF) Rules will be available.

(2) No additional Pension and Gratuity shall be admissible for service rendered in the Regulatory Authority.

6. Leave travel concession, travelling allowance and daily allowance.- The Chairperson and a Member shall be entitled to travelling allowance and daily allowance on tour as applicable to Government Servants drawing equivalent **Grade pay** and they shall also be entitled to facility of temporary Government accommodation in Guest Houses or Inspection Bungalows under the control of the Central Government, on payment of normal rent at out-stations, of the class to which Government servants of equivalent pay are eligible.

7. Medical treatment.- The Chairperson and a Member shall be entitled to Medical treatment and Hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme for retired Government servants and at places where the such Scheme is not in operation, the Chairperson and Members who are not Government servants shall be entitled to the facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944.

8. Official visits abroad.- (1) The Chairperson and a Member shall be entitled to undertake official visits abroad with the prior approval of the Minister-in-charge of the Ministry of Civil Aviation and after political clearance from the Ministry of External Affairs. (2) The daily allowance and the provision for hotel accommodation during the period of tour abroad shall be regulated in accordance with the Government instructions as applicable from time to time to officers of equivalent pay in the Government of India and Indian Missions abroad shall take care of arrangements and extend facilities as applicable to Group "A" officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

9. Transport allowance.- The Chairperson and a Member shall be entitled to fixed reimbursement of transport allowance between Rs.3,000/- and Rs.5,000/- per month as laid down by the Department of Personnel and Training from time to time for the use and maintenance of his personal car for transportation between residence and office and it shall include the salary of a driver who shall not be a Government servant.

10. Accommodation.- The Chairperson and a Member shall be given the option of claiming House Rent Allowance at the rate of thirty percent of the basic pay drawn if they stay at Delhi but no house shall be hired by the Authority or allotted by the Government and in case of a satellite town surrounding the National Capital Territory of Delhi, the Chairperson and a Member shall be entitled to rented unfurnished accommodation with built-up area measuring around three hundred and fifty square meters for Chairperson and three hundred square meters for a Member with suitable open land area.

11. Oath of Office and Secrecy.- The Chairperson and a Member shall, before entering upon the office, make and subscribe before the Minister an Oath of Office and Secrecy, set out in forms I and II annexed to these rules.

12. Telephone facility, official meetings and entertainment expense.- The Chairperson and a Member shall be entitled to telephone facilities, official meetings and entertainment expenses as admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

13. Residuary matters.- Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or a Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

[F. No. AV. 24011/003/2009-AD]

ARUN MISHRA, Jt. Secy.

Annexure

Form – I

(see rule 11)

Form of Oath of Office for the Chairperson / Members of the Airports Economic Regulatory Authority

I, _____, having been appointed as the Chairperson/Member (*cross out portion not applicable)* solemnly affirm and do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson/ a Member (*cross out portion not applicable),* of the Airports Economic Regulatory Authority, to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

(Name of the Chairperson /Member)
Airports Economic Regulatory Authority

Dated:

Form – II

(see rule 11)

Form of Oath of Secrecy for the Chairperson/Members of the Airports Economic Regulatory Authority

I, _____, having been appointed as the Chairperson/Member (*cross out portion not applicable)* do solemnly affirm and swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under consideration or

shall become known to as the Chairperson/ a Member (*cross out portion not applicable*), of the Airports Economic Regulatory Authority, except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairperson/ a Member (*cross out portion not applicable*).

(Name of the Chairperson /Member)
Airports Economic Regulatory Authority

Dated:

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2009

सा.का.नि. 322(अ).— भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 51 की उप धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (सचिव के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 अभिप्रेत है;
(ख) "सचिव" से प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है;
(ग) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं तथा परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम के अधीन है ।

3. **सचिव का वेतन** - सचिव वेतन बैंड-4 में रु037,400 - 67000 प्रतिमाह के वेतनमान में होगा, इसके लिए ग्रेड वेतन रु010000 होगा ।

4. **सेवा की शर्तें** - सचिव के भत्ते, छुट्टी, कार्यारंभ समय, कार्यारंभ समय वेतन, अधिवार्षिता की आयु तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसे नियमों व विनियमों के अधीन विनियमित होगी जो कि समय-समय पर केन्द्र सरकार के समूह "क" के अधिकारी के समतुल्य ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी के संबंध में लागू होती हैं ।

5. **आवास** - (1) सचिव के सरकारी कर्मचारी होने व प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त पर होने तथा उसे सामान्य पूल से रिहाइशी आवास आवंटित होने की स्थिति में वह सरकारी रिहाइशी आवास रखने का पात्र होगा व यदि सरकारी रिहाइशी आवास आवंटित नहीं हुआ हो अथवा लाभ नहीं उठाया गया हो, वह समतुल्य वेतन लेने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारी के समान मकान किराया भत्ता लेने का पात्र होगा ।

(2) यदि सचिव कि नियुक्ति किसी सरकारी कार्यालय से प्रतिनियुक्ति आधार पर नहीं हुई है तो वह अपने समतुल्य ग्रेड वेतन पाने वाले केन्द्र सरकार के सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले मकान किराया भत्ता के बराबर ही मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा ।

6. **चिकित्सा उपचार** - (1) बहिरंग चिकित्सा खर्चे - सचिव स्वयं के लिए तथा उद्घोषित पारिवारिक सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु पात्र होगा ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ "परिवार" शब्द का ठीक वही अर्थ है जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 1944 में दिया गया है ।

(i) बहिरंग चिकित्सा खर्चे की प्रतिपूर्ति, वास्तविक खर्चे या साल में 01 जनवरी को एक माह के वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी। दावे के साथ प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत डॉक्टर का औषध पत्र तथा डॉक्टर द्वारा उपचार के लिए दवाईयों की खरीद संबंधी कैश मेमो/बिल संलग्न किए जाएं । वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि या पदोन्नति मिलने से वर्ष के 01 जनवरी को विद्यमान सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि सचिव वर्ष के दौरान प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करता है तो वार्षिक हकदारी आनुपातिक आधार पर सीमित कर दी जाएगी ।

(ii) बहिरंग उपचार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नामावली (पैनल) में से प्राधिकृत चिकित्सक से कराना होगा ।

(2) अन्तरंग उपचार -

(i) अन्तरंग उपचार के लिए सचिव चिकित्सा उपचार के संबंध में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार कराने हेतु हकदार होगा तथा इस संबंध में अस्पताल, आवास, परिचर्या, गृह सुविधा आदि सहित उपचार का खर्च, समतुल्य ग्रेड वेतन पा रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार होगा ।

(ii) उपर्युक्त (i) के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अस्पताल वही होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 1944 द्वारा शासित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं ।

(iii) आपात स्थिति को छोड़कर प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार प्राधिकरण के प्राधिकृत चिकित्सक की सलाह पर ही कराया जाए ।

7. **सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) अथवा अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), पेंशन तथा ग्रेच्युटी** - (i) सरकार की ओर से सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर न किये जाने की स्थिति में, वह अंशदायी भविष्य निधि का पात्र होगा और इसका विनियमन अंशदायी भविष्य निधि नियमावली 1962 द्वारा किया जाएगा ।

1786 GI/09-3

(ii) सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर किये जाने की स्थिति में, उनपर भविष्य निधि योजना लागू रहेगी जैसा कि उनके मूल मंत्रालय अथवा विभाग अथवा संगठन में उन पर लागू है ।

(iii) सचिव के प्रतिनियुक्ति पर न होने की स्थिति में, वह ग्रेच्युटी अधिनियम, 1976 के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान का पात्र होगा ।

(iv) सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर न किये जाने की स्थिति में, वह प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से बनाई गई योजना के अनुसार समूह बीमा के लाभ का पात्र होगा।

बशर्ते कि सचिव पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।

8. विदेशी दौरों के संबंध में यात्रा भत्ता - (1) सचिव की विदेश में दौरे पर जाने की स्थिति में - सचिव की विदेश में फॉरेन डेपुटेशन (विदेशी दौरा) की अनुमति अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी ।

(2) हवाई यात्रा की पात्रता - सचिव समतुल्य ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर उपलब्ध सुविधाओं के समकक्ष विमान द्वारा विदेश यात्रा का पात्र होगा ।

(3) प्रतिदिन (डायम) हॉल्टिंग भत्ता - विदेश दौरे के दौरान, सचिव 350 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन की दर से प्रतिदिन (डायम) भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा तथा नेपाल के मामले में यह दर 250 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन होगी (जिसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना है) ।

बशर्ते -

(क) प्रस्तावित प्रतिदिन (डायम) एक समेकित राशि होगी जो वास्तविक राशि तक सीमित होगी और कमरे के किराए, टैक्सी प्रभार, मनोरंजन, यदि कोई है, आधिकारिक टेलीफोन कॉल, समतुल्य ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर उपलब्ध दर से दैनिक भत्ते से संबंधित वाऊचर प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी ।

(ख) यदि सरकारी एजेंसियों के मेजबान संगठन, भारतीय मिशनों द्वारा पूर्ण हॉस्पिटलिटी (अर्थात लॉजिंग तथा बोर्डिंग) सुविधा मुहैया कराई जाती है तो ठहरने की सम्पूर्ण अवधि के लिए आकस्मिक व्यय 100 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन (डायम) होंगे । नेपाल के मामले में, यह राशि 50 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन (डायम) होगी । ऐसी स्थिति में, मित्तव्ययिता संबंधी कटौती भी, यदि कोई है, जैसा कि केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिए लागू है, 100 अमरीकी डॉलर अथवा 50 अमरीकी डॉलर, जैसा भी मामला हो, की दर से लागू होगी ।

(ग) यदि केवल निःशुल्क लॉजिंग सुविधा मुहैया कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में सामान्य दर पर प्रतिदिन (डायम) के 50 प्रतिशत की दर से नगद भत्ता लागू होगा ।

(घ) लगातार सात दिनों से अधिक ठहराव की स्थिति में, 8वें दिन से 28वें दिन तक प्रतिदिन (डायम) 250 अमरीकी डॉलर होगा तथा लगातार अट्ठाईस दिनों से अधिक ठहराव के लिए प्रतिदिन (डायम) का निर्णय, मुहैया कराई गई सुविधाओं को देखते हुए, मामला-दर- मामला आधार पर किया जाएगा ।

(ङ) यदि लॉजिंग तथा परिवहन से संबंधित प्रबंध व्यवस्था विदेश में संबंधित भारतीय मिशन के माध्यम से कराई जाती है, तो समतुल्य ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर उपलब्ध दर से केवल दैनिक भत्ता तथा अन्य आकस्मिक व्यय ही अनुमेय होंगे ।

9. **अवशिष्ट मामले** - सचिव की सेवा की निबंधन व शर्तों से संबंधित वे मामले, जिनके बारे में इन नियमों में कोई सुस्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, समतुल्य ग्रेड प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के समूह "क" अधिकारी के अनुसार होंगे ।

[फा. सं. ए वी. 24011/003/2009-एडी]
अरुण मिश्रा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2009

G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 51 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, (27 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Airports Economic Regulatory Authority of India (Salary, Allowance and other Conditions of Services of Secretary) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. --- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008;

(b) "Secretary" means the Secretary of the Authority;

(c) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. **Salary of Secretary.** - The Secretary shall be entitled to a monthly salary in the Pay Band 4- Rs.37,400 -67000 with grade Pay of Rs. 10,000.

4. **Conditions of service.**- The allowances, leave, joining time, joining time pay, age of superannuation and other conditions of service of Secretary, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are, from time to time, applicable to the officers and employees of the Central Government belonging to Group 'A' and drawing equivalent grade pay.

1786 GI/09-4

5. **Accommodation.**- (1) Where the Secretary is a Government employee on deputation to the Authority and has been allotted residential accommodation under General Pool shall be eligible to retain the facility of Government residential accommodation and in case Government residential accommodation has not been allotted or availed, he shall be eligible for House Rent Allowance at par with Central Government servant drawing equivalent pay.

(2) Where the Secretary is not appointed on deputation from the Government shall be entitled to House Rent Allowance at par with those applicable to Central Government servant drawing equivalent grade pay.

6. **Medical Treatment.**-(1) Outdoor Medical expenses- The Secretary shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation -For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(i) The reimbursement of outdoor medical expenses shall be limited to the actual expenses or one month's pay on 1st January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less. The claim should be supported by Doctor's prescription who are authorized by the Authority and the original cash memos /bills for treatment by the Doctor's and purchase of medicine. Release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1st January of the year. In case Secretary joins the Authority during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(ii) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Practitioner from the panel to be maintained by the Authority.

(2) Indoor treatment-

(i) for the purpose of indoor treatment the secretary shall be entitled for medical treatment at hospitals authorized by the Authority in this behalf, and for the purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc. shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent grade pay;

(ii) the authorized hospitals for the purpose of (i) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rule 1944;

(iii) treatment at authorized hospitals may be taken on the advice of the authorised Medical Practitioner of the Authority except in emergency.

7. **General Provident Fund (GPF) or Contributory Provident Fund (CPF), Pension and Gratuity.**-(i) in case the Secretary is not appointed on deputation from the Government, he shall be entitled to subscribe to Contributory Provident Fund and shall be regulated by the Contributory Provident Fund Rules 1962.

(ii) in case the Secretary is appointed on deputation, he shall continue to be governed by Provident Fund Scheme as is applicable to him in his parent Ministry or Department or organization.

(iii) in case the Secretary is not on deputation, he shall be eligible for payment of gratuity as per the Gratuity Act, 1976;

(iv) in case the Secretary is not appointed on deputation, he shall be entitled to Group Insurance benefit as per the Scheme to be formulated by the Authority in consultation with the Central Government.

Provided that such Secretary shall not be entitled to get pension.

8. **Travelling Allowances in respect of foreign tours.**-(1) Deputation of Secretary abroad. – the deputation of the Secretary to abroad shall be allowed by the Chairperson.

(2) Entitlement for travel by Air.- The Secretary shall be entitled to travel abroad by Air at par with facilities available from time to time to the Central Government employees drawing equivalent grade pay.

(3) Per diem halting allowance.- While on foreign tour, the Secretary shall be entitled to draw per diem allowance at the rate of US $ 350 per day and for Nepal, the rate shall be US $ 250 per day (to be paid in Indian currency).

Provided that –

(a) the proposed per diem would be a consolidated amount limited to actual subject to production of vouchers covering room rent, taxi charges, entertainment if any, official telephone calls, daily allowance at the rate available from time to time to Central Government employees drawing equivalent grade pay and other contingent expenditure.

(b) if full hospitality (i.e. lodging and boarding) is provided by the host organization of official agencies , Indian Missions, the incidental expenses would be US $ 100 per-diem for the entire period of stay. In case of Nepal, the same would be US $ 50 per diem. In such a case, economy cut, if any, as applicable to the Central Government officers shall also apply at the rate of US $ 100 or US $ 50, as the case may be.

(c) in case only free lodging is provided, cash allowance at the rate of 50% of the per-diem at normal rate would be applicable.

(d) in case of stay beyond seven consecutive days, the per diem from the 8th to 28th days shall be US$ 250 and the rate of per diem for stay beyond twenty eight days consecutively shall be decided on case to case basis keeping in view the facilities provided.

(e) in case the lodging and transport arrangements are made through the concerned Indian Mission abroad, only daily allowance at the rate available from time to time to Central Government employees drawing equivalent grade pay and other contingent expenditure shall be admissible.

9. **Residuary Matters.**- Matters relating to the terms and conditions of service of the Secretary with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent grade pay.

[F. No. AV. 24011/003/2009-AD]

ARUN MISHRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.